रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042022-235346
CG-DL-E-25042022-235346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1833] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2022/ वैशाख 5, 1944
No. 1833] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2022/VAISAKHA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

का.आ. 1926(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 484 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2014 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-50 के (खेड़-सिन्नर सेक्शन) 42.000 किमी से 177.000 कि.मी. तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 समय-समय पर संशोधित (जिसे इसमें इसके पश्चात ''नियम'' कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का. आ. 1787 (अ), दिनांक 01 जुलाई 2015 के अधिक्रमण में, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (नया एनएच-60) के खेड़-सिन्नर सेक्शन के 42.000 कि.मी. से 179.946 कि.मी के सड़क खंड की निवल लंबाई 105.590 कि.मी. के चार लेन सेक्शन और 10.610 कि.मी (जिसकी संरचना लम्बाई 1.061 कि.मी.) की समकक्ष संरचना लम्बाई (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में 100% की दर पर और बाइपासों जिनकी कुल लम्बाई 31.295 कि.मी. है के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर से नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05

बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे लिए जाने वाला एवं संग्रहित किए जाने वाला शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगाः

सारणी-2

शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. मे) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में चलकवाड़ी गांव के निकट 91.106 डिजाइन कि.मी पर	**40.860** (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में हिवरगांव गांव के निकट 138.749 डिजाइन कि.मी पर	**64.730** (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर)	

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाज़ा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगाः-

सारणी-3

शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	शुरुआत	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत लागत (करोड़ में)	
एनएच-50(नया एनएच-60) के पुणे जिले में चलकवाड़ी गांव के निकट 91.106 डिजाइन कि.मी पर	एनएच-50(नया एनएच-60) का खेड बाईपास	डिजाइन कि.मी 42.067	डिजाइन कि.मी 46.981	4.720	96.98	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार और अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%
	एनएच-50(नया एनएच-60) का मंचर बाईपास	डिजाइन कि.मी 59.939	डिजाइन कि.मी 67.406	7.467	69.65	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार और अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%
	एनएच-50 (नया एनएच-60) का कलंब बाईपास	डिजाइन कि.मी 68.576	डिजाइन कि.मी 72.396	3.710	40.81	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार और अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%
	एनएच-50 (नया एनएच-	डिजाइन कि.मी	डिजाइन कि.मी	5.095	59.92	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार और

	60) का नारायणगांव बाईपास	76.046	81.239			अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%
	एनएच-50(नया एनएच-60) का अलेफाटा बाईपास	डिजाइन कि.मी 91.956	डिजाइन कि.मी 96.149	4.193	49.41	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार और अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%
	एनएच-50 (नया एनएच-60) का बोटा बाईपास	डिजाइन कि.मी 102.837	डिजाइन कि.मी 105.255	2.335	35.68	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार और अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%
एनएच-50(नया एनएच-60) के अहमदनगर जिले में हिवरगांव गांव के निकट 138.749 डिजाइन कि.मी पर	एनएच-50 (नया एनएच-60) का नंदुरशिंगोट बाईपास	डिजाइन कि.मी 161.984	डिजाइन कि.मी 165.759	3.775	39.92	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार और अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगाः

सारणी-4

शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (किमी में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
एनएच-50(नया एनएच-60) के पुणे जिले में चलकवाड़ी गांव के निकट 91.106 डिजाइन कि.मी पर	0.615^	6.150	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
एनएच-50(नया एनएच-60) के अहमदनगर जिले में हिवरगांव गांव के निकट 138.749 डिजाइन कि.मी पर	0.446^^	4.460	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^विवरण निम्नानुसार है;

क्रम सं.	मध्य चैनेज	बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (में .मी.कि)
1	43.200	बडा पुल	0.194
2	69.334	बडा पुल	0.110
3	78.126	बडा पुल	0.098
4	89.381	बडा पुल	0.130
5	103.263	बडा पुल	0.083

^^ संरचनाओं का विवरण इस प्रकार है: -

क्रम सं.	मध्य चैनेज	बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (में .मी.कि)
1	112.006	बडा पुल	0.118
2	143.542	बडा पुल	0.198
3	145.304	बडा पुल	0.130

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सो पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	**अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2690.54 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/21-22/फीनोटिफिकेशन/खेड-सिन्नरनसेक्शन(42.000-179.946]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2022

S.O. 1926(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 484 (E) dated 20th February 2014 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 42.000 to km 177.000 (Khed – Sinnar Section) of National Highway No. 50 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority")

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “rules”), and in supersession of the notification bearing No S.O. 1787(E) dated 01st July 2015 , the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 105.590 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 10.610 km (having structure length 1.061 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 31.295 km on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane from Km.42.000 to Km.179.946 of Khed Sinnar Section of National Highway No 50 (New NH-60) in the State of Maharashtra and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design km. 91.106, near ChalakwadiVillage in Pune district of Maharashtra	**40.860** [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km. 138.749, near Hivargaon Village in Ahmednagar district of Maharashtra	**64.730** [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design km 91.106 near Village Chalakwadi in Pune District of NH-50 (New NH-60)	Khed Bypass of NH-50 (New NH-60)	Design km 42.067	Design km 46.981	4.720	96.98	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Manchar Bypass of NH-50 (New NH-60)	Design km 59.939	Design km 67.406	7.467	69.65	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

	Kalamb Bypass of NH-50 (New NH-60)	Design km 68.576	Design km 72.396	3.710	40.81	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Naraynagaon Bypass of NH-50 (New NH-60)	Design km 76.046	Design km 81.239	5.095	59.92	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Alephata Bypass of NH-50 (New NH-60)	Design km 91.956	Design km 96.149	4.193	49.41	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Bota Bypass of NH-50 (New NH-60)	Design km 102.837	Design km 105.255	2.335	35.68	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 138.749 near Village Hivargaon in Ahmednagar District of NH-50 (New NH-60)	Nandurshigote Bypass of NH-50 (New NH-60)	Design km 161.984	Design km 165.759	3.775	39.92	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design km 91.106 near Village Chalakwadi in Pune District of NH-50 (New NH-60)	0.615^	6.150	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 138.749 near Village Hivargaon in Ahmednagar District of NH-50 (New NH-60)	0.446^^	4.460	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures is as under: -

Sr. No.	Mid Chainage	Type of Structure	Length (in km)
1	43.200	Major Bridge	0.194
2	69.334	Major Bridge	0.110
3	78.126	Major Bridge	0.098
4	89.381	Major Bridge	0.130
5	103.263	Major Bridge	0.083

^^The details of structures is as under: -

Sr. No.	Mid Chainage	Type of Structure	Length (in km)
1	112.006	Major Bridge	0.118
2	143.542	Major Bridge	0.198
3	145.304	Major Bridge	0.130

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315 (Three hundred and Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2690.54 Crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/21-22/Fee Notification/Khed-SinnarSection(42.000-179.946)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.25 22:45:18 +05'30'